

7/23

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थी-
गण के सम्मन के बाद तामिल होकर प्राप्त हुए
जिसे शा. प. किये गये। अप्रार्थीगण को कितनी
बार खक-खक कर आवाजें दिलाये जाने के
बाद भी उपस्थित नहीं हुए, इनके विरुद्ध एक
तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया
जाता है। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार
किया जाकर निर्णय पृष्ठक से लिखा जाकर
शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली कैंसल
शुमार होकर नंबर से रुम हो।



उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठारीन अधिकारी- नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

मुकदमा संख्या- 02/23 प्रांपत्र

- 1- श्रीमती पारसील० सुरवदेव पाट निवासी- कापड़िया तहसील- माण्डल
- 2- श्री सुरवदेव ज० श्री उदयराम पाट निवासी- कापड़िया तहसील- माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

- 1- श्रीमती काली ल० माधू जायक निवासी- सोनारेल तहसील- आसीन्द
- 2- श्री लाटु ज० उदयराम पाट निवासी- कापड़िया तहसील- माण्डल
- 3- शम्भुबान शम्भु भरिए तहसीलदार सा० माण्डल तहसील- माण्डल

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक :- 07-02-23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कापड़िया पटवार हल्का खावलास तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आरजी नं 1196/750 कुल कित्ता 01 रकवा 0.2529 हेक्टर स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जायें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 06-01-23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर प्रा कापड़िया पटवार हल्का खावलास तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आरजी नं 1196/750 कुल कित्ता 01 रकवा 0.2529 हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा दी पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक लेसवा को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जायें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जायें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- तहसीलवार माण्डल का भोजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिनांक में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा